



Form 1

Maintenance of records Form of Continuous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)

(See Rule 4)

Continuous Khatian

Anchal- धनबाद Rev P.S- झरिया State of- झारखण्ड Police Station- झरिया R.T.No 13 Khata Type रैयती

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
128	सानु हासदा वो बानेश्वर हासदा वो लखीराम हासदा , पिता-सोमा हासदा, जाति- . एवं शामलाल हासदा वो प्रमेश्वर हासदा , पिता-देवी हासदा, जाति- . एवं बहमुनी हासदा , पिता-सलखु हासदा, जाति- . एवं फागु हासदा , पिता-मदन हासदा, जाति- संधाल	444		0 ऐ	0 ऐ	0 ऐ	3		1 / 128
	446		0 ऐ	0 ऐ	0 ऐ				
	447		0 ऐ	0 ऐ	0 ऐ				
128	श्रीमती सोमा चन्द्र , पिता-डा0 मलय कु0 चन्द्रा, जाति- .	444		4 कठा	13 छ	35 वर्गफीट	2	दा0 खा0केश न0 220(2) 2005-06	1 / 162
128	प्रभाकर चक्रवर्ती शक्ति पद चक्रवर्ती , पिता-स्व तीन कौरी चक्रवर्ती पिता प्रभाकर चक्रवर्ती , जाति- .	447		0 ऐ	0 कठा	0.11 हे	4	Vide M/c No 39(II)91-92	2 / 17
128	बादल चन्द्र चटर्जी , पिता-गोलक बिहारी चटर्जी , जाति- .	447		0 ऐ	3 कठा	0 हे	3	Vide M/c No 390(II)91-92	2 / 40
128	प्रमोद कुमार यादव , पिता-राजेन्द्र यादव , जाति- .	444		0 ऐ	6 कठा	0 हे	2	दाखिल खारिज केस न 732(II)1993-94	2 / 334
128	देवेन्द्र कु वर्मा अनिल कु वर्मा सुनील कु वर्मा , पिता-सर्वेश्वर कु वर्मा , जाति- .	444		0 ऐ	1.65 डि	0 हे	2	दाखिल खारिज केस न 631(II)1996-97	2 / 444

		447		0 ऐ	8.28 डि	0 हे			
128	रबिन्द्र प्रसाद शर्मा , पिता-सत्यनारायण शर्मा , जाति- .	448		0 ऐ	0 डि	0 हे	3	दाखिल खारिज केस न 3039(II)2011-12	2 / 499
128	SHAKTI PADA CHAKRABORTY , पिता-PRAVAKAR CHAKRABORTY, जाति- ----	447		0 ऐ	0 डि	0 हे	4	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1435/2017 - 2018	3 / 10
128	SMT SULEKHA CHAKRABORTY , पति-SRI SHAKTI PADA CHAKRABORTY, जाति- ब्रह्मण	447		0 ऐ	6.6 डि	0 हे	4	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1020/2018 - 2019	3 / 26
128	श्रीमती सुमन मिश्रा , पति-स्व0 रामाश्रय मिश्रा, जाति- भुमीहार	448		0 ऐ	4.95 डि	0 हे	3	नामान्तरण मुकदमा संख्या 2479/2019 - 2020	4 / 16

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

8/3/2020

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें ।